अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 614(अ).— केन्द्र सरकार, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत का शत्रु संपत्ति सहायक अभिरक्षक, मुबंई के पद से संबंधित भर्ती नियम 1984 को उन बातों तक अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, भारत का शत्रु संपत्ति सहायक अभिरक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(1) इन नियमों का नाम भारत का शत्रु संपत्ति सहायक अभिरक्षक भर्ती नियम 2012 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान:- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2-4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं:-

उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :- वह व्यक्ति :-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, के साथ अनुबंध या विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ अनुबंध या विवाह किया है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. छूट प्रदान करने की शक्ति: जहां केन्द्र सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, इन नियमों के निजी उपबंध में आदेश द्वारा छूट प्रदान कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :- यह नियम समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसरण में अ.जा. व अ.ज.जा. तथा अन्य विशेष वर्गों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगे।

2896 GI/12-5

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
भारत का शत्रु संपति सहायक अभिरक्षक	3* (2012) कार्य भार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड -2 (9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो,	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा, जो भी हो या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वह पद जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	वह परिस्थितयां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 50.00% प्रोन्नति जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (ii) 50.00% प्रतिनियुक्ति/ आमेलन	प्रोन्नति: वेतन बैंड -2 (9300-34800 रु0) + ग्रेड वेतन 4200 रु0 में 5 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले अधीक्षक / सहायक / आशुलिपिक ग्रेड-।। (समूह-ख) टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी	समूह 'ख' डी पी सी (प्रोन्नति हेतु विचार के लिए) 1. निदेशक (शत्रु संपति) - अध्यक्ष 2. शत्रु संपति अभिरक्षक - सदस्य 3. अवर सचिव (शत्रु संपति) -	आमेलन/ प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा से परामर्श करना आवश्यक है।

			अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण: 2**: प्रोन्नति के लिए कम से कम अर्हकारी सेवा गिनने के प्रयोजन के लिए दिनांक 01.01.2006 जिस तारीख से 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा लागू हुआ, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग के आधार पर समकक्ष ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति: (क) केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी: (i) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या (ii) 4200 रु0 के ग्रेड वेतन में वेतन बैंड -2 9300-34800 रु0 में नियमित आधार पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, और (ख) जिनके पास प्रशासन, स्थापना और लेखा का दो वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण-1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-2**: प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) **टिप्पण-3**: प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व (वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गईं हैं) नियमित	सदस्य		

			आधार पर की गई सेवा को एक से अधिक संशोधन पूर्व वेतनमान का समान ग्रेड वेतन सहित एक ग्रेड में अथवा वेतनमान में आमेलन किया गया है और जहां पर यह लाभ केवल उस पद (दों) के लिए लागू होगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन है, के अतिरिक्त समनुरूपी ग्रेड वेतन में अथवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए वेतनमान में की गई सेवा के बराबर माना जाएगा।			

[फा. सं. 37/17/2008-ई.पी.]

एस. के. आहूजा, अवर सचिव